



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14112025-267667
CG-MH-E-14112025-267667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 735]
No. 735]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/कार्तिक 23, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना
मुम्बई, 13 नवम्बर, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2025

फा. सं. फेमा.23(आर)/(7)/2025-आरबी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7, धारा 8 और धारा 47 की उप-धारा (2), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23(आर)/2015-आरबी], (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) इस विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।
- (ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियम 9 में संशोधन:-

मूल विनियमावली में, विनियम 9 के -

- (i) उप-विनियम (1) में, 'नौ महीने' शब्दों के स्थान पर 'पंद्रह महीने' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) उप-विनियम (2), खंड (क) में, 'नौ महीने' शब्दों के स्थान पर 'पंद्रह महीने' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. विनियम 15 में संशोधन:-

मूल विनियमावली में, विनियम 15 के -

- (i) उप-विनियम (1), खंड (i) में, 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'तीन वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) उप-विनियम (1) के परन्तुक में, 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर, 'तीन वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (iii) उप-विनियम (2) में, 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर, 'तीन वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

रोहित पी. दास, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./471/2025-26]

पाद टिप्पणी :मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण-भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 12.01.2016-जीएसआर संख्या 19(ई), में प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नानुसार संशोधन किए गए:

- i. जीएसआर संख्या 635 (ई) दिनांक 23.06.2017
- ii. फेमा 23(R)/(2)/2019-आरबी दिनांक 03 दिसंबर 2019
- iii. फेमा 23(R)/(3)/2020-आरबी दिनांक 31 मार्च 2020
- iv. फेमा 23(R)/(4)/2021-आरबी दिनांक 08 जनवरी 2021
- v. फेमा 23(R)/(5)/2021-आरबी दिनांक 08 सितंबर 2021
- vi. फेमा 23(R)/(6)/2025-आरबी दिनांक 24 जून 2025

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th November, 2025

Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2025

F. No. FEMA 23(R)/(7)/2025-RB.—In exercise of the powers conferred by Section 7, Section 8 and sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015-RB dated January 12, 2016] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:

1. Short Title and Commencement:-

- (i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2025

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 9:-

In the principal regulations, in regulation 9 -

(i) in sub-regulation (1) for the words ‘nine months’, the words ‘fifteen months’ shall be substituted.

(ii) in sub-regulation (2), in clause (a) for the words ‘nine months’, the words ‘fifteen months’ shall be substituted.

3. Amendment to Regulation 15:-

In the principal regulations, in regulation 15 -

(i) in sub-regulation (1), in clause (i) for the words ‘one year’, the words ‘three years’ shall be substituted.

(ii) in proviso to sub-regulation (1), for the words ‘one year’, the words ‘three years’ shall be substituted.

(iii) in sub-regulation (2), for the words ‘one year’, the words ‘three years’ shall be substituted.

ROHIT P. DAS, Regional Director

[ADVT.-III/4/Exty./471/2025-26]

Foot Note: The Principal Regulations were Published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 12.01.2016- G.S.R.No.19(E) and subsequently amended vide the following, namely as under:-

- i. G.S.R.No. 635(E) dated 23.06.2017
- ii. FEMA 23(R)/(2)/2019-RB dated December 03, 2019
- iii. FEMA 23(R)/(3)/2020-RB dated March 31, 2020
- iv. FEMA 23(R)/(4)/2021-RB dated January 08, 2021
- v. FEMA 23(R)/(5)/2021-RB dated September 08, 2021
- vi. FEMA 23(R)/(6)/2025-RB dated June 24, 2025